RAJYA SABHA

Wednesday, the 22nd *August,* 2001/31 *Sravana,* 1923 *(Saka)*

e House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रामीण क्षेत्रों में जलाशयों के निर्माण तथा सुरक्षा हेतु योजना

. **श्री श्यामलाल:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में गिरते हुए जल को रोकने के लिए उन क्षेत्रों के ालाबों और झीलों) के निर्माण और सुरक्षा हेतु कोई योजना है; और

यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

। विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) रीता वर्मा): (क) और (ख) एक ाटल पर रखा जाता है।

विवरण

और (ख) गिरते हुए जल स्तर को रोकने के उद्देश्य से गांवों के तालाबों तथा जल न्य संरचनाओं, जैसे रिसने वाले टैंकों, रोक बांधों का निर्माण और मरम्मत करना ऐसे र्यकलाप हैं जिनकी ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के तीन मुख्य ास कार्यक्रमों, नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) मरूभूमि विकास डी०पी०) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) में परिकल्पना रश्चित रोजगार योजना तथा उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों के अंतर्गत गांव के तालाबों तथा नेकालने के कार्य को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास ीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा वर्षा जल एकत्रण सहित स्रोतों की सततता को े लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०)तथा प्रधान योजना (पेयजल आपूर्ति संघटक) के तहत निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं।

ए जल स्तर को रोकने के लिए अन्यों के साथ-साथ कृषि मंत्रालय और पर्यावरण एवं द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत भी कार्यकलाप हैं। (जल संसाधन मंत्रालय के तहत) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड 'भू-जल की पुन: पूर्ति' संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक प्रायोगिक योजना कार्यान्वित कर रहा है। जिसमें वर्षा ा करने संबंधी एक संघटक शामिल है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में कुंओं,

नलकूपों, रिसने वाले टैंकों तथा रोक बांधों आदि के जरिए भू-जल की पुन: पूर्ति की जा रही है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभाग योजनाएं कार्यान्वित करने में लगे हुए है।

Scheme for construction and safety of reservoirs in rural areas

†*421. SHRI SHYAM LAL: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme for the construction and safety of reservoirs (ponds and lakes) of rural areas in order to contain the declining water level; and

(b) if so, since when and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DR. (SHRIMATI) RITA VERMA): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

In order to contain the declining water levels, the construction and restoration of village ponds and other water harvesting structures, like percolation tanks and check dams are important activities envisaged in the three major Watershed Development Programmes, namely the Drought Prone Areas Programme (DPAP), the Desert Development Programme (DDP) and the Intergrated Wasteland Development Programme (IWDP) of the Department of Land Resources of the Ministry of Rural Development. Desiltation of village ponds and tanks is also covered under the Employment Assurance Scheme and the three Programmes mentioned above. In addition, the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission of the Ministry of Rural Development Provides funds under the Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) and the Pradhan Mantri Gramodaya Yojana (Drinking Water Supply Component) for sustainability of sources, including rainwater harvesting.

Activities to contain declining water levels are also taken up under the Watershed Development Programmes implemented by, amongst others, the Ministry of Agriculture and the Ministry of Environment & Forests. The Central Ground Water Board (of the Ministry of Water Resources) is implementing a Pilot Central Sector Scheme on the studies of "Ground Water Recharge" which has a component of rain water harvesting. Under this scheme, recharge through

†Original notice of the Question was received in Hindi.

wells, tube wells, percolation tanks and checks dams is being carried out in different states. It would, thus be, seen that various Ministries and Departments are engaged in implementing schemes to arrest the decline in the water levels.

श्री श्याम लाल: सभापति महोदय, माननीया मंत्री जी इस बात से सहमत होंगी कि हमारा देश करीब 32 लाख 87 हजार, 263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपका मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास विभाग के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण विकास का मतलब है राष्ट्र का विकास। इसलिए गांव की जो बात है, उसमें आज हमारे सामने सूखा और बाढ़ की समस्या है। यह दोनों समस्याएं आज हमारे सामने चुनौती बन कर खड़ी हुई हैं। एक दूसरे की परिपूरक हैं। ऐसी स्थिति में यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वहां के पानी को वहां ही रखा जाए और नालों के माध्यम से नदियों में नहीं जाने दिया जाए जो बाढ़ नहीं आएगी। माननीया मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगी कि गांव में जो पानी इक्ट्ठा होता था तालें, तालबों तथा झीलों में, उससे जीव-जन्तु, पशु-पक्षी पानी पीया करते थे, राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में भी इसका योगदान होता था, पर्यावरण में भी उसका सहयोग होता था, कैंचुएं, कछुए और मैंढक आदि इस पानी में रहते थे। लेकिन आज जो गांव में स्थिति है, वह यह है कि तालाब और झीलें पटती जा रही हैं और जो नमी है पानी की कमी की वजह से वह भी समाप्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में गांवों में एक तरफ सूखा आ जाता है और दूसरी तरफ बाढ़ आ जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था करने के लिए क्या गांवों में ही पानी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की गई है?

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिस तरह से हमारी इकोलोजी का दिन-प्रति-दिन नाश हो रहा है, बरबादी हो रही है, उस दृष्टि से यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को परिकल्पना कर के अपने ग्रामीण विकास विभाग में बंजर भूमि का उपजाऊ बनाने के लिए वाटर शेड डेवलपमेंट, ड्राऊट प्रोन एरिया और डेजर्ट एरिया के डैवलपमेंट के जितने भी कार्यक्रम हमने बनाए थे, हमने इसकी परिकल्पना पहले से कर ली है। इन्हीं परियोजनाओं को कंपोनेंट के रूप में गांवों में जो भी बावड़ी या तालाब या जोहड़ हैं, इनकी मरम्मत कर सकते हैं सफाई कर सकते है, मेनटेन कर सकते हैं। दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं हमारे ग्रामीण विकास विभाग की जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना या कपार्ट की तरफ से इसमें पैसे दिये जाते हैं, उन सब में इसकी परिकल्पना पहले से कर ली गई है, 40 परसेंट पैसे लोग जल-संरक्षण और मृदा संरक्षण संबंधी उपायों के लिए खर्च करते भी हैं। हमारी जितनी परियोजनाएं है उसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया कि वह अपनी इच्छा से इसका निर्णय करें कि वह क्या करना चाहते हैं ओर किस तरह करना चाहते हैं। इसलिए चूंकि अभी इसकी योजनाएं चल रही हैं, इसको पहले से ही उसमें समायोजित कर लिया गया है, इसलिए अलग से कोई परियोजना बनाने की ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री श्याम लाल: सभापति महोदय, माननीया मंत्री यह बताने की कृपा करें कि 1987 से

राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई और इस नीति के अन्तर्गत क्या कोई सर्वे कराया गया था? मान लीजिये एक गांव में 100 एकड़ जमीन है, उस 100 एकड़ जमीन में जल को इकट्ठा करने के लिए कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता है? यदि यह चीज है तो पूरे राष्ट्र में हर एक गांव में कितने क्षेत्र में तालाब होने चाहियें, कितने क्षेत्र में पानी को वहां इकट्ठा होना चाहिये? नदियों में पानी न जाए, इसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या नालों का कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि नालों में पानी रोक कर उसमें हम मछली पालन का उद्योग करें और नालों के किनारे-किनारे मिट्टी की मेड़ बनाकर उसमें हम फलदार ओर सब्जी वाले पेड़-पौधे उगाकर अपने राष्ट्रीय खाद्योत्पादन में वृद्धि करें। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आपका विभाग सार्वभौमिक है जिसमें वन मंत्रालय का भी समावेश किया गया है, पर्यावरण का भी समावेश किया गया है, कृषि विभाग का भी किया गया है। इसी के साथ पर्यावरण के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि एक पक्षी गिद्ध है। वैज्ञानिक आधार पर उसका भी सर्वेक्षण कराया जाए। गिद्ध जो पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है उसका आज विलोप होता जा रहा है, देश में दिखाई नहीं पड़ता है। यह कौन सी स्थिति है जिसमें पशु-पक्षी समाप्त होते जा रहे है। दूसरे आपका जो राष्ट्रीय जल स्तर है उसके लिए आपने क्या वैज्ञानिक आधार देश के सामने रखा है?

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा: माननीय सभापति जी, मुझे इस बात की चिंता है कि यह जो प्रश्न है इसका स्कोप हमारे विभाग से बहुत ज्यादा बाहर है। हमारे विभाग में कृषि विभाग, पर्यावरण और वन मंत्रालय तो नहीं आते हैं। इसलिए बड़ी जो सिंचाई की परियोजनाएं है, या बड़े डैम बनाने की वे इसकी परिधि में नहीं आते हैं। बाकी जितनी बातें बतायी हैं- मछली पालन करने, पेड़ लगाने की-तो हमने पंचायतों को उसका अधिकार दिया है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न योजनाएं जो हमारे विभाग की हैं उनमें उनका समावेश कर सकते हैं।

श्री श्याम लाल: महोदय...

श्री सभापति: नो, खत्म हो गया आपका। दो सवाल हो गए आपके।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister has indicated in the statement and admitted that various Departments and Ministries are associated with this programme of water harvesting and its implementation to prevent the decline in the water levels. The Rural Development Ministry is implementing three programmes, DPAP, DDP and IWDP. In addition to that, it is implementing the Employment Assurance Scheme, the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission and one more programme. The Ministry of Agriculture, the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Water Resources are also involved in it, and the hon. Minister has very correctly pointed out and summed up the whole thing in the last line of the statement,

"It would, thus, be seen that various Ministries and Departments are engaged in implementing schemes to arrest the decline in the water levels". In this context, my specific question to the hon. Minister is this. You get the resources from various Departments and Ministries for this purpose. But there is no nodal agency for implementing the schemes, specially, in relation to specific programmes. The questioner wanted to have a specific answer in regard to ponds and lakes. May I suggest to the hon. Minister this? You identify the Panchayats and get the resources from different sources. You cannot just undo all these administrative paraphernalia. But if you want to take up this project, improvement of lakes and ponds, you identify the agencies like Panchayats to implement it and transfer the resources to them. Then, perhaps, the cost-benefit ratio will be much more and you will be able to get substantial results. In this connection, I would also like to suggest—as senior Member of the Government are present here—when you are going to formulate the Tenth Five Year Plan, that the setting up of a common nodal agency to achieve this objective and its institutionalisation should be given a serious thought.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Mr. Chairman, Sir, it is a very important issue. I will first go to the main question and then come back to Shri Pranab Mukherjee's supplementary. The question is about construction and safety of reservoirs in rural areas to contain the declining water level. It is a very important issue which is agitating the minds of the people. The ground water level is depleting day by day because of various reasons. Keeping this in mind, we have told the States that they can use the EAS money to take up works for restoration and rejuvenation of traditional water ponds that are available in the rural areas. But I must admit that not much progress has been made in this regard. Secondly, as Shri Pranab Mukherjee said, the Department of Agriculture, the Department of Water Resources, the Department of Environment and Forests and my Department, all of us are doing some work or the other in this direction. There is every need for convergence of these schemes and there has to be one specific nodal agency to implement the same. I take the suggestion of the hon. Member. While formulating the Tenth Plan, we shall keep this in mind. We have got the Approach Paper. There is going to be a discussion in this regard in the NDC also where I shall put forth this point of view as voiced by the hon. Members of the House. Personally, I also feel that there has to be a concerted effort in this direction because we are all aware that we are able to utilise only 16 per cent of the rain water and the remaining water goes waste. That being the case, the Government should give it top priority. I would also like to share

with the House that on 15th August the hon. Prime Minister announced the Sampurna Gramrojgar Yojana whereby we are going to get foodgrains as well as money. The scheme has yet to be launched. It has been announced. We are holding discussions with the Planning Commission, the Finance Ministry and other related Ministries. This component of rejuvenation and reactivisation of resources that are already available and taking up of new schemes to have check dams and other projects for harvesting rainwater, is on the top of our agenda. I would take the House into confidence as and when the scheme is formalised. I shall also be informing the hon. Members about it.

SHRI S. NIRAIKULATHAN: The Lord Rama district, i.e. Ramnad district in Tamil Nadu is a dry and rain-fed area. But unfortunately, the Government has not declared Ramnad district as the most backward district in the country. Will the Minister declare Ramnad district as the most backward district and provide special assistance for construction of water reservoirs, sinking of artesian borewells, tubewells, ponds, lakes, etc., in order to meet the minimum water requirement of the Ramnad district?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this question is about a particular district. The information is not readily available with me. But I would like to tell the hon. Member that the Tamil Nadu Government has agreed to launch the integrated Watershed Development Programme. The hon. Member can write to the Tamil Nadu Government. If he gives it to me in writing, I will forward the same to the State Government. Identification of these projects is basically done at the State level. They forward those projects to us and then we give the approval. So far as the specific request about Ramnad district is concerned, I shall get it examined.

SHRI K.M. SAIFULLAH: Is it a fact that the construction of check dams at the village level would affect or cause damage to the reservoirs? In such a case, what remedy does the Government propose in this regard? If the water is going waste, you can think of constructing check dams. If the water is going directly into reservoirs, then there is no need for constructing check dams.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, normally watersheds are not constructed near reservoirs. Watersheds are constructed where there are some local rivulets or small canals. I have not come across any such case where the State Government has constructed any watershed across the reservoir. If the hon. Member brings any specific instance to our notice, we shall examine it.

DR. RAJA RAMANNA: Sir, I rise to put a question regarding water resources and collection of water. I put the same question to the hon. Minister

exactly one year back when the first cyclone took place in Orissa. Now, the second cyclone has taken place. The question then was: "Are any efforts being made to collect that water"? I think the answer given by the Minister then was that schemes were there; but nothing had started, I would like to know whether the schemes have actually started and whether some efforts are being made to collect the tremendous amount of rainwater that comes along the Orissa coast year after year and it is all wasted.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, this also again is a specific question with regard to Orissa. Orissa has got a number of watershed projects. There are certain areas where DPAP and DDP projects are also implemented. What I was earlier trying to inform the House was that now we were thinking of going in for a nationwide time-bound programme for rainwater harvesting and preservation of natural ponds that were available. In that, Orissa also have been important because we have seen, on the one hand, there are droughts and, on the other, there are recurring floods in that particular State. These proposals, as I submitted earlier, have to come from the States. As and when the States send their proposals, we shall examine them positively; and Orissa will naturally receive special attention.

Sir, earlier an hon. Member had referred to Ramanathapuram. Ramanathapuram has been sanctioned a programme for 5060 hectares of integrated wasteland development project in 1999-2000. It is in progress.

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जल ग्रहण क्षेत्रों का गिरता हुआ स्तर गंभीर चिंता का विषय है, यह आप के उत्तर से स्पष्ट है। आपने लगभग 6 कार्यक्रमों का उल्लेख किया है जोकि जल स्तर को गिरने से रोकने, चैक डैम्स बनाने, तालाबों की मरम्मत और वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में हैं, लेकिन एक बात अनुभव में आ रही है कि ये सारे कार्यक्रमों का कियान्वयन संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्य सरकारों को करना है। राज्य सरकारों की भी कई एजेंसियां, जिनका डुप्लीकेशन भी होता है, यह काम करती है। सभापति जी, अनुभव यह रहा है कि क्रियान्वयन के स्तर पर फंड के प्राचुर्य के बावजूद क्रियान्वयन की गति धीमी है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस संदर्भ में कोई स्पेशल एजेंसी बनाने के संबंध में आप का विचार है जो कि इन सभी कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन की मानीटरिंग करे? दूसरे, वाटर हार्वेस्टिंग को कंजर्व करने के लिए, फंड के उचित उपयोग की दिशा में सरकार कोई टाइम-बाउंड कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है?

डा० (श्रीमती) रीता वर्मा: सभापति जी, वाटर शेड डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में हम पहले डिस्ट्रिक्ट को यह अनुरोध करते हैं कि वह प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए वाटर शेड एसोसिएशन

बनाएं। यह वाटर शेड एसोसिएशन एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को चुने। वह पंचायत भी हो सकती है, वह कोई रेप्युटेड एन॰जी॰ओ॰ भी हो सकता है और वह सरकार स्वयं भी कर सकती है। चूंकि वाटर शेड डेवलपमेंट के एरियाज बड़े-बड़े होते हैं तो इन एजेंसीज को उसी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और इन के काम की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। इस में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज द्वारा पीरियोडिकल मीटिंग ली जाती है और उन से क्वार्टरली व मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी जाती हैं। हमारे डिपार्टमेंट के एरिया ऑफिसर्स और प्रोग्राम ऑफीसर्स भी मॉनीटरिंग के लिए उन क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। इस के अतिरिक्त इम्पैक्ट एसेसमेंट के लिए हम इंडिपेंडेंट इवेलुएटर्स को बुलाते हैं। यदि इस सब के बाद भी किसी पर्टिकुलर स्कीम के क्रियान्वयन में दोष पाए गए हैं, तो मैं माननीय सदस्यों को अनुरोध करूंगी कि वह उन्हें हमारे ध्यान में लाएं तो हम उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, सिर्फ उद्घोषणाओं से लोगों की पानी की प्यास नहीं बुझती है और यह दुर्भाग्य की बात है कि 54 वर्ष के बाद भी हम पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं और मनुष्य को उस के जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि यह जो विभिन्न एजेंसियों का संगम बनाकर रखा गया है, वह किसी भी सूरत में पानी के संरक्षण की योजनाएं तैयार नहीं कर पा रहा है। यह हकीकत है। महोदय, हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भयंकर सूखे से प्रभावित रहते हैं। और भयंकर सूखे से प्रभावित इन क्षेत्रों के लिए क्या आप ये जरूरी नहीं समझतीं कि केन्द्र सरकार जब तक पहलकदमी नहीं करती और पूरी-पूरी सहायता राज्य सरकारों की नहीं करती तब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता इसी संदर्भ में मेरा एक कहना है कि पानी के संरक्षण के जो परम्परागत तरीके हैं, महिलाएं उनसे बहुत ज्यादा वाकिफ हैं क्योंकि महिलाओं को ही दस-दस किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। तो मेरा मंत्री महोदया से सवाल है कि पानी के संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आप कोई विशेष योजना बना रही हैं या नहीं?

डा॰ (श्रीमती) रीता वर्मा: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या से मेरा यह अनुरोध होगा कि विकास के काम को एकांगी दृष्टि से न देखें, उसको समेकित रूप से देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक हमारी सरकार की बात है, सभापति जी, ये योजनाएं शुरू हुई हैं, जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, यह 1973-74 में शुरू हुआ था, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी 1977-78 में शुरू हुआ था और आई॰ डब्ल्यू॰डी॰पी॰ भी 1989-90 में शुरू हुआ था। जब से हमारी सरकार आई है, हमने 1999-2000 में और 2000-2001 में 62 लाख हैक्टेयर को इसमें लिया है। यह जो सैंक्शन है इससे पहले के चार साल में जितने सैंक्शन थे, उन सबको मिलाकर, यह उनसे ज्यादा है। जहां तक इसके बजट का सवाल है, तो हमने इसका बजट भी कई गुना बढ़ा दिया है। पहले 324 करोड़ था 1999-2000 में उसको हमने बढ़ाकर 900 करोड़ कर दिया है। इसके बाद भी इन योजनाओं के

कार्यान्वयन में हमें राज्य सरकार की मदद तो चाहिए ही चाहिए। मैं माननीय सदस्या को यह याद कराऊंगी कि जैसे उनका ही प्रान्त है पश्चिमी बंगाल, हम उसको बार-बार बोल रहे हैं कि आई॰डब्ल्यू॰डी॰पी॰ के लिए आप हमसे फंड लीजिए, ऐम्प्लॉयमेंट ऐश्योरेंस प्रोग्राम के लिए आप हमसे फंड लीजिए, पर उनका कोई प्रतिनिधि बात करने के लिए आ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ केन्द्र सरकार कैसे यह जिम्मेदारी निभा सकती है, उसके ऊपर कैसे यह दोष लगाया जा सकता है कि वह इन पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं करना चाहती।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, बार-बार पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि वहां पर आर्सेनिक की इतनी प्राब्लम है, भयंकर बीमारियां हो रही हैं, पैसा आप दे नहीं रहे हैं, 100 परसैंट आपको देना था। सारी योजनाएं आपने वापिस ले ली हैं, राज्य सरकार को दोष कैसे दे रहे हैं? सभापति जी, पश्चिमी बंगाल सरकार ने बार-बार इनको ज्ञापन दिया है, मैंने खुद भी लिखा लेकिन इसके बावजूद पैसा नहीं दिया जा रहा है। हकीकत यह है।

श्री मूल चन्द मीणा: सभापति जी, आज देश के कई हिस्सों में पानी के गिरते हुए जलस्तर के कारण लोग भयंकर चिंतित हैं जिन एरियाज में पहले सिंचाई होती थी, आज वहां पर पीने के पानी का मिलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की योजनाओं, जलस्तर बढ़ाने की योजनाओं के बारे में मंत्री महोदय बता रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आता कि आप योजना बना रहे हैं और राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर 10' या 15' का जलस्तर हर साल गिरा रहा है जिसके कारण वहां पर बड़ी भयंकर स्थिति बनी हुई है। वहां सूखा तो पड़ता ही है साथ ही गर्मियों में पीने के पानी के कारण लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके दो कारण रहे हैं-एक कारण तो वहां वर्षा का न होना है और दूसरा कारण है कि आपने नदी-नालों के ऊपर बड़े-बड़े बांध बना दिए हैं। जो नदियां सौ किलोमीटर के एरिया के अंदर से होकर जाती थीं, इन बांधों के कारण उन नदियों के पास के गांवों का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है और स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। ऐसी स्थिति को वापिस लाने के लिए, जलस्तर को वापिस कायम करने के लिए केन्द्र सरकार यह कहती है कि राज्य सरकार हमसे सहयोग करे, लेकिन राज्य सरकार के पास तो साधन ही नहीं हैं, पैसा ही नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि ऐसी नदियों और नालों के एरिया में, जहां बांध बन गए हैं और पानी का जलस्तर नीचे चला गया है, उनमें कोई ऐनिकेट बनाकर, पानी को रोककर वहां के जलस्तर को रोककर वहां के जलस्तर को वापिस कायम किया जा सके?

डा॰ (श्रीमती) रीता वर्मा: सभापति जी, माननीय सदस्य ने राजस्थान राज्य के बारे में बताया है, हम राजस्थान राज्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक हैं और मैं अगर यह कहूं तो गलत नहीं होगा कि अभी तक जो भी कार्यक्रम हैं, राजस्थान ने उनमें अच्छा काम किया है। कुछेक स्टेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वाटर शैड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उनमें राजस्थान भी एक है। राजस्थान, गुजरात और भी कई स्टेट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इस साल भी हमने राजस्थान को

पैसा देने में कोई कमी नहीं की है। 971.86 लाख आपको हमने आई॰डब्ल्यू॰डी॰पी॰ में दिया है, 2385.98 लाख ऐम्प्लॉयमेंट ऐश्योरेंस स्कीम में दिया है, 970.75 लाख डी॰पी॰ए॰पी॰ में दिया है महोदय, 7,854 लाख रुपए हमने डी.डी.पी. में दिए हैं और इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य स्कीम्स के लिए पैसे दिए गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि अपने क्षेत्र में इन योजनाओं की अच्छी मॉनीटरिंग करवाएं ताकि इसके अच्छे परिणाम मिल सकें।

श्री मूल चन्द मीणा: क्या ऐनिकट्स बनाने की योजना है ?

डा (श्रीमती) रीता वर्मा: जैसा मैंने कहा कि आप लोग ही कंप्लेंट करते हैं कि जरूरत से ज्यादा योजनाएं हम लोग बना लेते हैं लेकिन मॉनीटरिंग नहीं कर पाते। जब पुरानी योजनाओं में ऐनिकट्स निर्माण समेकित कर लिया गया है तो इसके लिए अलग से योजना बनाने की बात समझ में नहीं आती।

श्री नाना देशमुख: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। पानी का जल स्तर नीचे जाने का मामला केवल एक राज्य का नहीं, अनेक राज्यों का है। केन्द्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों को दोष दे और प्रांतीय सरकारें, केन्द्रीय सरकार को दोष दें, इससे समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिनके लिए पानी की जरूरत है, जल स्तर नीचे जाने के कारण जो लोग परेशान हैं, उनको इसमें सहयोगी बनाना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च को इसका स्पष्ट अनुभव हुआ है। मैंने उनको बताया कि आप चित्रकूट आइए, लोगों का सहयोग लेकर हमने वहां राजीव योजना पर काम किया है। जल प्रबंध के संबंध में राजीव योजना है। हमारे जिलाधीश महोदय को एक जगह पर 1 लाख, 60 हजार रुपए में इसकी व्यवस्था करने का आदेश मिला। उनके पी. डब्ल्यू.डी. ने कहा कि 1 लाख, 60 हजार रुपए में तो काम बन ही नहीं सकता है। जब डी.एम. हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि यह स्थिति है, क्या आप यह काम करवा सकते हैं ? मैंने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा और मैंने ऐस्टीमेट्स देखकर उनको बताया कि इसके लिए 1 लाख, 60 हजार रुपए की जरूरत नहीं है, आप मुझे अभी केवल एक लाख रुपए दीजिए। हमने साढ़े तीन महीने में वह योजना पूर्ण की, बड़ी अच्छी तरह से वहां काम हुआ और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमने 28 हजार रुपए डी.एम. साहब को वापस किए। जो काम 1 लाख, 60 हजार रुपए में नहीं हो सकता था, वह काम जनता ने केवल 72 हजार रुपए में करके दिखाया, लोगों ने खुद किया, उनकी रोज की मजूरी हमने जरूर दी। जब स्थानीय लोगों को आप इन योजनाओं में इन्वॉल्व करेंगे, तभी ये योजनाएं सही ढंग से लागू हो सकती हैं। जब केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारें एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय स्थानीय लोगों को इन योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल करेंगी, तभी यह गंभीर समस्या हल हो सकती है।

सभापति महोदय, आज मैं आपको बताता हूं कि हमने 19 गांवों में यह काम किया। आश्चर्य की बात यह है कि पानी के लिए 6-7 किलोमीटर दूर महिलाओं को जाना पड़ता था, आज हालत यह है कि पीने के पानी का जल स्तर ऊपर आया है और जो कुएं पिछले 8-10 सालों से सूखे पड़े थे, पिछले दिनों 28 मई को डॉयरेक्टर जनरल, इंडियन काउंसिल ऑफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च ने देखा कि उन कुओं में 4 मीटर पानी आ गया है और इतना ही नहीं, पीने के पानी के साथ-साथ 12,000 एकड़ जमीन में सिंचाई का इंतजाम भी हो गया है। यह काम केवल लोगों के सीधे इन्वॉल्वमेंट के कारण हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इन योजनाओं में लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए कोई रास्ता बनाएं तो यह समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है। केवल पैसे के बल पर इसका समाधान नहीं होगा।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the hon. Member is an experienced person at the field level. He has made two suggestions. The first one is that there should not be any politics in it and nobody should accuse the other. I totally agree with him. This is not a political issue. Both the States and the Centre have to work together to take up this challenge of increasing the ground water level as well as the surface water.

The second point is, unless you involve the people these schemes will not become successful. I totally agree with him. That is why the Government of India has asked the States to involve the Panchayati Raj institutions which are headed by the local people. Even in the Panchayati Raj institutions, as the earlier hon. Member has mentioned, we wanted the women's groups to be actively associated with the water users' association as well as with watershed management. Now, even the NGOs are also coming forward. They are also being encouraged after they are identified by the districts administration.

Thirdly, Sir, the hon. Member is a very experienced person. He explained as to what is happening in Chitrakoot where he has taken up this programme and I have told him that I will be visiting there to see for myself the experience and convey the same to the rest of the country.

Pension for old-age citizens

*422. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) which are the State Governments that are giving pension to the old age citizens;

(b) what is the annual amount of money each State gives to the old age citizens;